भारत का राजपत्र
असाधारण
भाग II — धारा 1
प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित

संख्या 31
नई दिल्ली, रविवार, 20 सितम्बर, 2020 / भाद्र 29, 1942 (शक)

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 सितम्बर, 2020 / भाद्र 29, 1942 (शक)

संसद के निम्नलिखित अधिनियम को 20 सितम्बर, 2020 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और इसे सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:

वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 2020

सन 2020 का अधिनियम संख्या 13

वायुयान अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने हेतु एक अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 2020 होगा।

2. धारा 2 का संशोधन
वायुयान अधिनियम, 1934 (जिसे इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में—

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

(1क) "वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो" से अभिप्राय धारा 4ग के अधीन गठित वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो है;

(ख) उपधारा (2क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएँ जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

(2ख) "नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो" से अभिप्राय धारा 4ख के अधीन गठित नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो है;

(2ग) "नागर विमानन महानिदेशालय" से अभिप्राय धारा 4क के अधीन गठित नागर विमानन महानिदेशालय है।

3. धारा 4क के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन

मूल अधिनियम की धारा 4क के स्थान पर निम्नलिखित धाराएँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"4क. नागर विमानन महानिदेशालय

(1) केंद्रीय सरकार एक निकाय का गठन कर सकती है, जिसे **नागर विमानन महानिदेशालय** के नाम से जाना जाएगा, जिसका प्रमुख एक अधिकारी होगा जिसे **नागर विमानन महानिदेशक** के रूप में नामित किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से की जाएगी।

(2) नागर विमानन महानिदेशालय इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में सुरक्षा पर्यवेक्षण और विनियामक कार्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) नागर विमानन महानिदेशालय का प्रशासन नागर विमानन महानिदेशक में निहित होगा।

(4) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, यह निर्देश दे सकती है कि नागर विमानन महानिदेशक द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई भी शक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से सशक्त किए गए किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा भी प्रयोग की जा सकेगी।

4ख. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो

(1) केंद्रीय सरकार एक निकाय का गठन कर सकती है, जिसे **नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो** के नाम से जाना जाएगा, जिसका प्रमुख एक अधिकारी होगा जिसे **नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक** के रूप में नामित किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से की जाएगी।

(2) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट नागर विमानन सुरक्षा से संबंधित विषयों के संबंध में विनियामक और पर्यवेक्षण कार्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का प्रशासन नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक में निहित होगा।

(4) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, यह निर्देश दे सकती है कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई भी शक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से सशक्त किए गए किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा भी प्रयोग की जा सकेगी।

4ग. वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो

(1) केंद्रीय सरकार एक निकाय का गठन कर सकती है, जिसे **वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो** के नाम से जाना जाएगा, जिसका प्रमुख एक अधिकारी होगा जिसे **वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक** के रूप में नामित किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से की जाएगी।

(2) वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट वायुयान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच से संबंधित विषयों के संबंध में कार्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो का प्रशासन वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक में निहित होगा।

(4) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, यह निर्देश दे सकती है कि वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई भी शक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से सशक्त किए गए किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा भी प्रयोग की जा सकेगी।

4D. अधीक्षण

नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो तथा वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो का अधीक्षण केंद्रीय सरकार में निहित होगा, जिसे यह शक्ति होगी कि वह इन प्रत्येक संगठनों को क्रमशः धारा 4क, 4ख और 4ग की उपधारा (2) के अंतर्गत आने वाले किसी भी विषय पर निर्देश जारी कर सके, यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझे।"

4. धारा 5 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 5 में,–

(i) उपधारा (2) में,–

(क) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"**(छक)** वायु नौवहन सेवाओं का विनियमन, अर्थात् वैमानिक सूचना सेवाएँ, वैमानिक चार्टिंग और मानचित्रण सेवाएँ, वैमानिक मौसम विज्ञान सेवाएँ, खोज और बचाव सेवाएँ, वायु नौवहन सेवाओं तथा विमान परिचालन की प्रक्रियाएँ, जो खंड (छ) में उल्लिखित नहीं हैं, तथा वायु नौवहन सेवाओं से संबंधित कोई अन्य विषय;"

(ख) खंड (छछ) को पुनः अक्षरीकृत कर खंड (छज) किया जाएगा, और इस प्रकार पुनः अक्षरीकृत खंड (छज) के अंत में आने वाले शब्द "**और**" को हटा दिया जाएगा;

(ग) खंड (छज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्:–

"**(छझ)** सुरक्षा पर्यवेक्षण और विनियामक कार्य;

(छञ) मूल अधिनियम की धारा 4ख के अधीन नागर विमानन सुरक्षा से संबंधित विषयों के संबंध में विनियामक और पर्यवेक्षण कार्य;"

(ii) उपधारा (3) में, कोष्ठकों, अक्षरों और शब्द "**(छङ)** और **(छछ)**" के स्थान पर कोष्ठकों, अक्षरों और शब्द "**(छक) से (छञ)**" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iii) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएँ जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:–

"**(1क)** नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक या केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से सशक्त कोई अन्य अधिकारी, समय-समय पर, आदेश द्वारा तथा इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उपधारा (2) के खंड (छ), (छक), (छझ) और (छञ) में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय के संबंध में, किसी भी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो किसी विमानपत्तन का उपयोग कर रहे हों या विमान परिचालन, वायु यातायात नियंत्रण, विमानपत्तन के रखरखाव और प्रचालन, अथवा नागर विमानन को अवैध हस्तक्षेप के कृत्यों से सुरक्षित रखने में संलग्न हों, निर्देश जारी कर सकते हैं, जहाँ नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक या ऐसा अन्य अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि नागर विमानन परिचालन की सुरक्षा के हित में ऐसा करना आवश्यक है।

(1ख) किसी व्यक्ति से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर या अन्यथा, यदि केंद्रीय सरकार लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझती है, तो वह उपधारा (1) या उपधारा (1A) के अधीन पारित किसी भी आदेश की समीक्षा कर सकती है और, यथास्थिति, नागर विमानन महानिदेशक या नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक को ऐसे आदेश को निरस्त करने या संशोधित करने हेतु निर्देश जारी कर सकती है।"

(iv) उपधारा (2) में, शब्दों, कोष्ठकों और अंकों "**उपधारा (1)**" के पश्चात् शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर "**उपधारा (1क) या उपधारा (1ख)**" जोड़े जाएंगे।

5. धारा 10 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 10 में, उपधारा (1क) में,–

(i) शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों "**खंड (छक)**" के स्थान पर शब्द "**खंड (छक)**" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) जहाँ कहीं भी शब्द "**दस लाख रुपये**" आते हैं, उनके स्थान पर शब्द "**एक करोड़ रुपये**" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

6. नई धारा 10क का समावेशन

मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:–

"**10क.** धारा 10 की उपधारा (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, धारा 5, 7, 8, 8क या धारा 8ख के अधीन कोई नियम बनाते समय..."

10क. ऐसे उल्लंघन के लिए दंड जहाँ कोई विशिष्ट दंड का प्रावधान नहीं है

(1) कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसे नियम का उल्लंघन करता है जिसके लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्यत्र कोई अन्य दंड का प्रावधान नहीं किया गया है, वह ऐसे उल्लंघन के लिए दंडनीय होगा।

(2) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, भारत सरकार के उप सचिव या समकक्ष पद से नीचे के न हों, ऐसे अधिकारियों की जितनी संख्या आवश्यक समझे, उन्हें उपधारा (1) के अधीन दंड अधिरोपित करने हेतु नामित अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है, इस प्रकार जैसा कि केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

(3) केंद्रीय सरकार, उपधारा (2) के अधीन नामित अधिकारियों की नियुक्ति करते समय, उसी आदेश में उनके अधिकार क्षेत्र का भी विनिर्देशन कर सकती है।

(4) जहाँ नामित अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि नियमों के उपबंधों का कोई उल्लंघन किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है, वह आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति पर दंड अधिरोपित कर सकता है, जिसमें उल्लंघन की प्रकृति, जिन नियमों का उल्लंघन किया गया है उनके उपबंध, तथा ऐसा दंड अधिरोपित करने के कारण उल्लिखित होंगे:

परंतु यह कि नामित अधिकारी किसी भी दंड को अधिरोपित करने से पूर्व, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन किए गए आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उस विषय में अधिकारिता रखने वाले ऐसे अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है, जो उस नामित अधिकारी से अगले उच्चतर पद पर हो जिसने ऐसा आदेश पारित किया है।

(6) उपधारा (5) के अधीन प्रत्येक अपील, नामित अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की प्रति व्यथित व्यक्ति को प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर दायर की जाएगी और वह ऐसे प्ररूप एवं रीति में होगी तथा ऐसे शुल्क के साथ होगी, जैसा कि केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

(7) अपीलीय अधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे, जिसमें अपीलित आदेश की पुष्टि, संशोधन या निरस्तीकरण किया जा सकता है।

10ख. अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र या अनुमोदन का निलंबन या निरस्तीकरण

इस अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, तो इस अधिनियम के अधीन उस व्यक्ति को जारी की गई अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र या अनुमोदन को

ऐसे प्रकार से निलंबित या निरस्त किया जा सकता है, जैसा कि केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

8. धारा 11 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 11 में, शब्द "**दस लाख रुपये**" के स्थान पर शब्द "**एक करोड़ रुपये**" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

9. धारा 11क का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 11क में, शब्द "**दस लाख रुपये**" के स्थान पर शब्द "**एक करोड़ रुपये**" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

10. धारा 11ख का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 11ख में, उपधारा (1) में, शब्द "**दस लाख रुपये**" के स्थान पर शब्द "**एक करोड़ रुपये**" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

11. नई धारा 12क का समावेशन

मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:–

"**12क. अपराधों का शमन**

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित किसी बात के होते हुए भी, धारा 10, 11, 11क, 11ख और धारा 12 के अधीन, अथवा इनके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध, किसी अभियोजन के संस्थापन से पूर्व या पश्चात्, यथास्थिति, नागर विमानन महानिदेशक या नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक या वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा, ऐसे प्रकार से शमित किया जा सकता है, जैसा कि केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाए।"

(2) यदि कोई व्यक्ति उसी या समान अपराध को दूसरी बार अथवा उसके पश्चात्, ऐसे समान अपराध के किए जाने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के भीतर करता है, जिसका पहले शमन किया जा चुका हो या जिसके लिए वह व्यक्ति पहले दोषसिद्ध हो चुका हो, तो ऐसे अपराध का शमन नहीं किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी, अपराध के शमन की शक्तियों का प्रयोग केंद्रीय सरकार के निर्देशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन करेगा।

(4) किसी अपराध के शमन के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रकार से किया जाएगा जैसा कि केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाए।

(5) जहाँ किसी अभियोजन के संस्थापन से पूर्व किसी अपराध का शमन किया जाता है, वहाँ उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उस अपराध के संबंध में, उस अपराधी के

विरुद्ध, जिसके संबंध में अपराध का शमन किया गया है, कोई अभियोजन संस्थापित नहीं किया जाएगा।

(6) जहाँ किसी अभियोजन के संस्थापन के पश्चात् किसी अपराध का शमन किया जाता है, वहाँ ऐसे शमन की सूचना उस न्यायालय को दी जाएगी जिसमें अभियोजन लंबित है, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा लिखित रूप में, और अपराध के ऐसे शमन की सूचना दिए जाने पर, जिस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध का शमन किया गया है, उसे विमुक्त कर दिया जाएगा।

(7) इस धारा के अधीन किसी अपराध का शमन उस अभियुक्त के दोषमुक्ति के प्रभाव वाला होगा जिसके साथ अपराध का शमन किया गया है।

12ख. अपराधों का संज्ञान

(1) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान कोई न्यायालय नहीं लेगा, सिवाय उस परिवाद के जो, यथास्थिति, नागर विमानन महानिदेशक या नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक या वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा किया गया हो, अथवा उनकी पूर्व लिखित स्वीकृति से किया गया हो।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिवाद उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा जिस दिन अपराध की जानकारी, यथास्थिति, नागर विमानन महानिदेशक या नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक या वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक को हुई हो।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित किसी बात के होते हुए भी, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण नहीं करेगा।

12. धारा 19 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 19 में,–

(क) शब्दों *"या संघ के सशस्त्र बल"* के पश्चात् शब्द *"या संघ के अन्य सशस्त्र बल, जो उस समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा गठित किए गए हों"* शामिल किए जाएंगे;

(ख) निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"परंतु यह कि संघ के नौसेना, थलसेना या वायुसेना के अतिरिक्त किसी अन्य सशस्त्र बल से संबंधित कोई क्षेत्र, जिस पर वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रारंभ की तारीख को इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध लागू हैं, वह उस तारीख तक इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होता रहेगा, जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।"

इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व, मूल अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार स्थापित किसी प्राधिकरण द्वारा की गई कोई कार्रवाई या किया गया कोई कार्य, जहाँ तक ऐसी कार्रवाई या कार्य, यथास्थिति, नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो या वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के कार्यों से संबंधित है, यह माना जाएगा कि वह, यथास्थिति, इस अधिनियम की धारा 4क, 4ख और 4ग के अधीन क्रमशः गठित नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो या वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया, लिया गया या जारी किया गया है।

डॉ. जी. नारायण राजू
भारत सरकार के सचिव।